संख्या:63/2023/1063/12-2-2023/100(05)/2014

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉंकः 05 अगस्त, 2023

विषयः सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजना एवं कृषि यंत्रीकरण की अन्य योजनाओं के सामान्य संचालन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजना एवं कृषि यंत्रीकरण की अन्य योजनाओं के सामान्य संचालन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

(1). **<u>लाभार्थी चयन एवं अनुदान वितरण की प्रक्रिया</u>:**

(1.1). **ई-लाटरी के माध्यम से लाभार्थी चयन प्रक्रियाः**

(i)- रू0 10000/- से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक, थ्रेसिंग फ्लोर एवं स्मॉल गोदाम के सम्बन्ध में ई-लाटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाये।

(ii). लाभार्थियों का चयन विभागीय पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों की श्रेणीवार/यंत्रवार/जनपदवार/विकासखण्डवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पोर्टल पर आवेदन एक निर्धारित समयावधि (न्यूनतम दो सप्ताह) तक प्राप्त किये जाने हेतु व्यवस्था बनायी जाये।

(iii) ई-लाटरी हेतु यंत्रों की बुकिंग के अन्तिम दिवस के अगले कार्य दिवस को योजनावार, मदवार, यंत्रवार, जनपदवार एवं विकासखण्डवार आवेदकों की सम्पूर्ण सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाये।

(iv) ई-लाटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों के मध्य संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(v). इच्छुक लाभार्थी/कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डी0एल0ई0सी0) के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लाटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाये, जिसमें डी0एल0ई0सी0 के सदस्यों के अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) या एन0आई0सी0 के अन्य नामित अधिकारी भी सदस्य होंगे।

(vi). ई-लाटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किये जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाये।

(vii). ई-लाटरी व्यवस्था में योजनावार, मदवार, यंत्रवार, जनपदवार एवं विकासखण्डवार चयनित लाभार्थियों एवं 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर अलग-अलग प्रदर्शित की जाये।

(viii). लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने की दशा में अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष ई-लाटरी द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थियों का चयन किया जाये।

(ix). आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑन-लाइन जमा करना होगा। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लाटरी में चयनित न होने वाले संबंधित कृषक को जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

- रू0 10001/- से रू0 100000/- तक अनुदान के कृषि यंत्र / कृषि रक्षा उपकरण हेतु जमानत धनराशि रू0 2500/- होगी।
- रू0 100000/- से अधिक अनुदान के कृषि यंत्र, स्माल गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर, कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु जमानत धनराशि रू0 5000/- होगी।

(1.2). **<u>बुकिंग के माध्यम से लाभार्थी चयन प्रक्रिया</u>:**

(i)- रू0 10000/- तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरणों हेतु आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं बुकिंग कर सकेगा तथा कृषि यंत्र का बिल बुकिंग की तिथि से 10 दिन के अन्दर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किये जाने की दशा में बुकिंग स्वत: निरस्त हो जायेगी और निरस्त बुकिंग के सापेक्ष पोर्टल पर अवशेष लक्ष्य प्रदर्शित हो जायेगा।

(ii)- रू0 10000/- तक अनुदान वाले कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण के निर्धारित लक्ष्यों का 25 प्रतिशत लक्ष्य कृषक मेले/गोष्ठी के माध्यम से वितरित करने हेतु आरक्षित किए जायें।

(iii)- कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित समस्त योजनाओं के अन्तर्गत रू0 10000/- तक अनुदान वाले कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण के यंत्रवार लक्ष्य निर्धारित न करके योजनावार समेकित लक्ष्य निर्धारित किये जायें।

(1.3) लाभार्थियों के चयन के उपरान्त निर्धारित समय के अन्तर्गत यंत्र क्रय कर बिल पोर्टल पर अपलोड नहीं करने की दशा में टोकन मनी/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पोर्टल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पर चयनित सूची से लाभार्थी का नाम स्वत: डिलीट हो जायेगा एवं उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से क्रमानुसार नये लाभार्थी का नाम स्वत: प्रदर्शित होगा। इस सम्बन्ध में संबंधित लाभार्थी को टोकन कन्फर्म होने/लाभार्थी चयन के सम्बन्ध में तत्समय स्वत: पोर्टल से पंजीकृत मोबाइल पर मैसेज भेजा जायेगा।

(1.4) आवेदक द्वारा एक मोबाइल नम्बर अपना अथवा अपने परिवार के ब्लड-रिलेशन सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधु) से ही टोकन प्राप्त किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जाये।

(1.5) योजनान्तर्गत कृषक, पंजीकृत कृषक सहकारी समिति, सेल्फ हेल्फ ग्रुप (SHGs) जो कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से संबंधित हो, ग्राम पंचायत एवं एफ0पी0ओ0 लाभार्थी होंगे।

(1.6) समस्त प्रकार के कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु बुकिंग एवं ई-लाटरी व्यवस्था में आवेदन किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करने का विकल्प होगा यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नम्बर बन्द होगा तो लाभार्थी के नये मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प रहेगा। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कि लाभार्थी वेरिफिकेशन हेतु बायोमेट्रिक व्यवस्था आरम्भ नहीं होती है।

(1.7) दर्शन पोर्टल पर किसान पंजीकरण हेतु आधार अनिवार्य होगा। पी0एम0 किसान के लाभार्थियों का डाटा स्वत: पोर्टल पर प्रदर्शित होगा, परन्तु कृषक कृषि यंत्र बुकिंग से पूर्व अपने आधार ऑथन्टीकेशन की पुष्टि कर लें । यंत्र बुकिंग हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व आधार ऑथन्टीकेशन के लिए एक सप्ताह का समय अवश्य दिया जाये।

(1.8) लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद यंत्र की फोटो एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिवस का समय दिया जायेगा। (कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु 45 दिन का समय दिया जायेगा)। यदि समयान्तर्गत क्रय कर बिल एवं आवश्यक अभिलेख विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं कराया जाता है तो उसके स्थान पर दूसरे कृषक का चयन कर दिया जायेगा। निर्धारित मानक के यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत निर्धारित समस्त यंत्रों को कृषि विभाग द्वारा इम्पैनल्ड कम्पनियों से ही क्रय करने पर अनुदान अनुमन्य होगा।

(1.9) लाभार्थी द्वारा यंत्र क्रय करने हेतु लाभार्थी अंश के सापेक्ष बैंक से ऋण लिए जाने के सम्बन्ध में पोर्टल पर बिल/अभिलेख अपलोड करते समय बैंक ऋण का सम्पूर्ण विवरण फीड किया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2). <u>सत्यापन व डी0बी0टी0</u>:

(i) कृषि यंत्र/उपकरण क्रय के सत्यापन की व्यवस्था जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा विकासखण्डवार नामित कर्मचारी के माध्यम से करायी जायेगी। सत्यापनकर्ता को किसान द्वारा क्रय किये गये यंत्र पर किसान का दर्शन पोर्टल पर उपलब्ध किसान का पंजीकरण संख्या, नाम तथा गाँव एवं विकासखण्ड के नाम का उल्लेख परमानेन्ट मार्कर से करते हुए अपना हस्ताक्षर करना होगा।

(ii) कृषि यंत्रीकरण की योजनाओं में रू0 10000 तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों को निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक विकास खण्ड स्तर पर स्थित राजकीय बीज गोदाम पर स्टाल लगाकर तथा कृषि गोष्ठी, किसान मेला, किसान कल्याण अभियान में अनुदान पर वितरित किये जायेंगे। इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर ही उप कृषि निदेशक द्वारा मौके पर यंत्र हेतु ऑन-लाइन बुकिंग, बिल अपलोड, सत्यापन एवं सत्यापन रिपोर्ट अपलोड की व्यवस्था करानी होगी।

(iii)- एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत एक या एक से अधिक यंत्र लिया जा सकता है।

(iv)- प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना को छोड़कर अन्य योजनाओं में एक कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किसी दो यंत्रों हेतु ही अनुदान अनुमन्य होगा। दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त संबंधित को ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान की अनुमन्यता नहीं होगी। जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त होगा, मानव चालित/पशु चालित कृषि यंत्रों पर 03 वर्ष तक पुनः अनुदान अनुमन्य नहीं होगा, इसी प्रकार शक्ति चालित कृषि यंत्रों पर 05 वर्ष की अवधि के पश्चात ही सम्बन्धित कृषक पुनः उसी प्रकार के कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु अर्ह होगा। स्थापित किये गये फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर के साथ अथवा अलग से क्रय किये गये ट्रैक्टर/कम्बाइन को लाभार्थी द्वारा 10 वर्ष के उपरान्त ही पुनः अनुदान पर क्रय किया जा सकेगा।

(v)- लाभार्थियों के द्वारा बिल एवं अन्य आवश्यक अभिलेख जिस क्रम में विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, उसी क्रम में जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा उन लाभार्थियों के यंत्रों का सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा।

(vi)- अभिलेख अपलोड करने की तिथि से दो सप्ताह में यंत्र एवं अभिलेखों का सत्यापन किया जाना होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी यंत्र की अक्षांश (Latitude) एवं देशांतर (Longitude) युक्त फोटो खींच कर विभागीय पोर्टल पर यंत्रों के सीरियल नं0 फीड करेंगे एवं अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करेंगे। मानव चालित/पशु चालित यंत्रों की स्थिति में सीरियल नं0 फीड करने की अनिवार्यता नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(vii) अगर विभागीय अधिकारियों द्वारा 15 दिन के अन्दर सत्यापन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानी जायेगी और उनका वेतन भी रोक दिया जायेगा।

(viii) अगर बिल अपलोड करने के पश्चात सत्यापन के समय मौके पर यंत्र नहीं मिलता है तो आवेदन निरस्त कर उस विक्रेता को भी ब्लैक-लिस्ट किया जायेगा, जिसके द्वारा इस प्रकार का फर्जी बिल निर्गत किया गया।

(ix)- मानव चालित/पशु चालित यंत्रों को छोड़कर शक्ति चालित समस्त कृषि यंत्रों में यूनिक सीरियल नम्बर डालना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे इनवैलिड मानकर कार्यवाही की जायेगी।

(X)- निर्धारित समयावधि में यंत्र न खरीदने की स्थिति में आवेदन स्वत: निरस्त हो जायेगा। यह व्यवस्था पोर्टल पर ही होगी तथा प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वत: चयनित हो जायेगा और उसे मैसेज जायेगा।

(xi) कृषि यंत्र/कस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक का सत्यापन होने के उपरान्त जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा 03 कार्य दिवस के अन्दर सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कराना अनिवार्य होगा तथा बजट की उपलब्धता की दशा में उप कृषि निदेशक द्वारा सत्यापन रिपोर्ट अपलोड होने के 03 कार्य दिवस के अन्दर डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान का भुगतान लाभार्थी को करना होगा। बजट नहीं होने की दशा में बजट प्राप्त होने के उपरान्त 03 कार्यदिवस के अन्दर अनुदान का भुगतान लाभार्थी को करना होगा।

(xii) निर्धारित समय के अन्तर्गत सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं होने एवं निर्धारित समय के अन्तर्गत अनुदान का भुगतान नहीं किए जाने की दशा में संबंधित जनपदों का विवरण संबंधित योजनाधिकारी की लॉगिंग पर अलग-अलग प्रदर्शित किया जाये।

(xiii) उक्त के अतिरिक्त फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु लाभार्थियों से प्राप्त किये जाने वाले शपथ पत्र/घोषणा पत्र की भॉति ही रू0 10000/- से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों /कृषि रक्षा उपकरणों के लाभार्थियों से भी इस आशय का शपथ पत्र/घोषणा पत्र प्राप्त किया जायेगा कि यदि अनुदान पर प्राप्त यंत्र को 05 वर्ष के पूर्व बेचा जाता है, तो संबंधित लाभार्थी को प्राप्त अनुदान की वसूली की जायेगी एवं लाभार्थी को विभाग द्वारा संचालित अन्य किसी योजना के लाभ से भी वंचित कर दिया जायेगा।

(xiv)- रू0 50000/- तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों का सत्यापन जनपद में कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय एवं किसी भी वर्ग के प्राविधिक सहायक, अवर अभियंता अथवा किसी भी राजपत्रित अधिकारी से कराया जा सकता है। रू0 50000/- से रू0 100000/- तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों का सत्यापन किसी भी राजपत्रित अधिकारी अथवा राजपत्रित अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने पर जनपद में कृषि विभाग के समस्त कार्यालयों के प्राविधिक सहायक वर्ग-ए, बी, सी एवं अवर अभियंता में से किन्ही दो भिन्न वर्ग के कर्मचारियों की टीम बनाकर उनके माध्यम से कराया जा सकता है। रू0 100000/- से अधिक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपकरणों/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर का सत्यापन किसी राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से कराया जाना अनिवार्य होगा। सत्यापित रिपोर्ट उप कृषि निदेशक अनिवार्य रूप से प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

(XV)- अधिकारियों/कर्मचारियों को सत्यापन हेतु नामित करते समय उप कृषि निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि एक ही सत्यापन अधिकारी/कर्मचारी से 05 से अधिक कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर का सत्यापन नहीं कराया जाय। उक्तानुसार सत्यापन हेतु यदि जनपद में पर्याप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता न हो तो सत्यापन अधिकारी/कर्मचारी के जनपद में कुल संख्या के आधार पर समानुपाती रूप से कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर का सत्यापन कराया जाय।

(XVi)- उप कृषि निदेशक द्वारा सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक के क्रय हेतु फर्मो को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किये जाने पर ही अनुदान के भुगतान की आवश्यक कार्यवाही की जाय। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि हेतु साक्ष्य भी लिये जायें। इस सम्बन्ध में कृषकों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय। कृषि यंत्रीकरण की योजनाओं में रू0 10,000/- तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों को अनुदान पर क्रय किये जाने पर लाभार्थी को कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को लाभार्थी के खाते से भुगतान करने का प्रतिबंध नहीं होगा।

(XVii)- ऐसे कृषक लाभार्थी जो साक्षर नहीं हैं, जिन्हे चेक-बुक जारी नहीं हो सकता है, ऐसे कृषक लाभार्थी अपने परिवार के ब्लड-रिलेशन (माता, पिता, भाई, बहन (अविवाहित), पुत्र, पुत्री (अविवाहित) एवं पुत्रवधू) के खाते से कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक के क्रय हेतु फर्मो को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जा सकता है।

(XViii)- ऐसी ग्राम पंचायतें जो फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर के अन्तर्गत कृषि यंत्र क्रय करती हैं तो उन्हे परियोजना लागत का कम से कम 20 प्रतिशत धनराशि पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत के खाते से कृषि यंत्र विक्रेता को भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

(XiX)- चयन की तिथि (टोकन कन्फर्म होने की तिथि) से पूर्व क्रय किये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।

(XX)- समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त अनुदान राशि नियमानुसार लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।

(XXi) कृषि निदेशक/अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक स्तर के समस्त अधिकारियों द्वारा तय मानक के अनुसार भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3). <u>सत्यापन के समय ध्यान देने हेतु आवश्यक बिन्दु</u>:

(i)- कृषि यंत्रीकरण के अन्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं अन्य सभी प्रकार के कृषि यंत्र प्रत्येक आपूर्तिकर्ता/विक्रेता आपूर्तित कृषि यंत्रों पर योजना का नाम, वर्ष तथा जनपद का नाम, कृषि यंत्र पर पेन्ट से लिखवाया जाना अनिवार्य होगा तथा सत्यापन के समय रू0 10000/- से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के विक्रय बाउचर पर अंकित सीरियल नम्बर का मिलान यंत्रों पर उत्कीर्ण (Embossed/Laser cutting) सीरियल नम्बर से करते हुए सत्यापन रिपोर्ट पर अवश्य अंकित किया जाय।

(ii)- सभी यंत्रों का भारत सरकार के एफ0एम0टी0टी0आई0 एवं अन्य केन्द्रीय संस्थान जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

(iii)- प्रत्येक जनपद में योजनान्तर्गत देय लाभों व प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रचार किया जाये, ताकि किसानों को योजना की समुचित जानकारी प्राप्त हो सके।

(iv)- कृषि यंत्रों, कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक के अन्तर्गत क्रय किये गये यंत्रों के सत्यापन के समय ही ''FARMS Mobile App'' पर कृषि यंत्रों का विवरण सत्यापनकर्ता द्वारा अपलोड किया जायेगा।

(v)- अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कस्टम हायरिंग केन्द्र के निरीक्षण तथा सत्यापन के समय अभिलेखों का विशेष निरीक्षण किया जायेगा तथा सुझाव भी अंकित किये जायेंगे। शासनादेश संख्या:1430/12-3-2020-100(30)/2018, दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 के अनुसार यंत्रों के क्रय में किसी प्रकार के दुरूपयोग एवं डुप्लीकेसी को रोकने के लिए सत्यापन के दौरान बिल में अंकित यंत्र का सीरियल नम्बर उत्कीर्ण (Embossed) अथवा लेजर कटिंग एवं निर्माता कम्पनी का नाम अवश्य चेक किया जाय। यंत्रों की दशा भी देखी जाय कि यह यंत्र नया है अथवा पुराना या चला हुआ तो नहीं है। यदि यंत्र पुराना प्रतीत होता है तो यह चेक कराया जाय कि यंत्र का सी0एम0एल0 नम्बर/सीरियल नम्बर पूर्व में क्रय तो नहीं किया गया है। ऐसी दशा में संबंधित यंत्र का ई-वे बिल डीलर के यहाँ चेक किया जाए तथा इसका यंत्रानुसार मिलान व्यापार कर विभाग से जी0एस0टी0 में प्रस्तुत विवरण से कराया जाए। उपरोक्त प्रक्रिया हेतु कृषक को किसी भी दशा में परेशान न किया जाय।

(4). <u>अनुदान पर वितरित किये जाने वाले यंत्रों की विशिष्टियॉ/मानक का निर्धारण</u>:

भारत सरकार के केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा नामित संस्थाओं द्वारा परीक्षण किये गये कृषि यंत्रों पर ही अनुदान देय होगा। रू0 10,000/- से अधिक कीमत के यंत्रों को या तो भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण पत्र अर्थात आई0एस0आई0 गुणवत्ता का मार्क प्राप्त हो या उपरोक्त उल्लिखित संस्थाओं द्वारा यंत्रों का परीक्षण कर पास किया गया हो।

(5). <u>जी0पी0एस0 की अनिवार्यता</u>:

योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाले स्वचालित समस्त कृषि यंत्रों/मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर, कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टीलर, पावर वीडर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, रीपर कम बाइण्डर, राइस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

ट्रान्स प्लान्टर आदि अन्य यंत्रों में जी0पी0एस0 ट्रैकिंग की सुविधा तकनीकी रूप से प्रचलित है, ऐसे सभी यंत्रों को उक्त जी0पी0एस0 सुविधा के साथ ही क्रय किया जायेगा। साथ ही संबधित लाभार्थी द्वारा इस आशय का भी अनुबंध पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि उपरोक्त जी0पी0एस0 ट्रैकिंग की सुविधा सतत् रूप से लाभार्थी द्वारा अनुरक्षित रखी जायेगी तथा विभाग द्वारा इस विषयगत बनायी गयी आई0टी0 सिस्टम में उक्त जी0पी0एस0 के माध्यम से संकलित होने वाले डाटा हेतु सतत् रूप से पूर्ण सहयोग किया जायेगा और स्वयं अपने खर्चे पर उपरोक्त जी0पी0एस0 का डाटा विभाग के उक्त पोर्टल हेतु उपलब्ध कराया जाता रहेगा। जो यंत्र स्वचालित नहीं है, उनमें जी0पी0एस0 की अनिवार्यता नहीं है।

(6). <u>अनुश्रवण एवं उत्तरदायित्व</u>:

(i)- कार्य योजना में जनपदवार कृषि यंत्रों/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर/कृषि रक्षा उपकरणों के लक्ष्य कृषि निदेशक द्वारा निर्धारित किये जायेंगे तथा आवश्यकतानुसार उनके स्तर से ही इनमें परिवर्तन भी किया जा सकेगा।

(ii)- कृषि यत्रों के भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की समय से पूर्ति शत-प्रतिशत करने के लिए पूर्ण-रूपेण उप कृषि निदेशक उत्तरदायी होंगे।

(iii)- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक तथा अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश/टास्क फोर्स अधिकारी भ्रमण के समय/जनपद स्तर पर कृषि यंत्र वितरण की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

(iv)- संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, कृषि भवन, लखनऊ कृषि यंत्रों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेंगे।

(v)- वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त मण्डलीय सहायक कृषि अभियंता अपने मण्डल के समस्त जनपदों में स्थापित फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की शत-प्रतिशत सत्यापन कर रिपोर्ट/आख्या अपने मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक के माध्यम से कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, अभियंत्रण अनुभाग को प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कृषि यंत्रों का 20 प्रतिशत सत्यापन भी मण्डलीय सहायक कृषि अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।

(vi)- जनपदीय उप कृषि निदेशक अनुदान भुगतान के उपरान्त समय-समय पर अपने जनपद के अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से वितरित कृषि यंत्रों का 20 प्रतिशत रेन्डम सत्यापन एवं फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर शत-प्रतिशत सत्यापन करायेंगे। वह स्वयं कम से कम 20 प्रतिशत सत्यापन अवश्य करेंगे।

(vii)- समस्त अपर कृषि निदेशक, समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) एवं उप कृषि निदेशक (भूमि संरंक्षण) रेन्डम सत्यापन करेंगे। इस संबंध में शासनादेश संख्या3005/ए0सी0एस0-ए0जी0/2023, दिनांक 12 मई, 2023 में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार समीक्षा तथा भौतिक सत्यापन किया जाएगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि विभिन्न स्तर पर रैंडम भौतिक सत्यापन करते समय अधिक से अधिक लाभार्थियों को आच्छादित किया जा सके तथा डुप्लीकेसी न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(viii)- जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा कृषकों के मध्य upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों, डिस्ट्रीब्यूटर एवं डीलर से ही कृषि यंत्र क्रय किये जायें, का प्रचार-प्रसार कराया जाये। upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों, डिस्ट्रीब्यूटर एवं डीलर के अतिरिक्त अन्य किसी भी निर्माता कम्पनियों, डिस्ट्रीब्यूटर एवं डीलर से कृषकों द्वारा क्रय किये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान देय नहीं होगा।

(ix)- upyantratracking.in पोर्टल पर कृषक लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये यंत्रों का विवरण, डीलर अथवा डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा फीड किये जायेंगे। सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे एवं डीलर अथवा डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा फीड किये गये विवरण के अनुसार कृषि यंत्रों के स्थलीय सत्यापन में प्राप्त विवरण से मिलान कर मोबाइल के माध्यम से फोटो खींचकर वैरिफिकेशन करेंगे तथा सत्यापन रिपोर्ट प्रिन्ट कर हस्ताक्षर सहित अपने जनपद के उप कृषि निदेशक को प्रेषित करेंगे।

(x)- समयान्तर्गत कृषि यंत्र क्रय करने की जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी तथा सत्यापन के समय यंत्र उपलब्ध न होने की दशा में लाभार्थी का टोकन निरस्त करते हुए कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचित किया जायेगा।

(xi)- बिल एवं अभिलख अपलोड करने के 15 दिवस के अन्दर उसी वरीयता क्रम में यंत्र का सत्यापन कर सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करने की जिम्मेदारी जनपदीय उप कृषि निदेशक की होगी। यदि यंत्र के सत्यापन और सत्यापन रिपोर्ट को अपलोड करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यतिक्रम पाया जाता है, तो सम्बन्धित उप निदेशक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(xii)- जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा कस्टम हायरिंग सेन्टर के लाभार्थियों के अनुदान का भुगतान मशीनों के रख-रखाव हेतु शेड, 10 वर्ष के लिए वैध पट्टे की भूमि एवं फार्म मशीनरी संचालन हेतु आवश्यक अभिलेखों (यंत्र रजिस्टर, निर्धारित यंत्रवार किराया, यंत्र मूवमेंट रजिस्टर, बहीखाता इत्यादि) उपलब्ध होने पर किया जाए।

(xiii)- जनपदों में अब तक स्थापित फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेन्टर के जनपद के अब तक के समस्त लाभार्थियों की सूची पते तथा मोबाइल नम्बर के साथ उप कृषि निदेशक कार्यालय में तथा विकास खण्ड प्रांगण एवं कृषि कल्याण केन्द्र या बीज गोदाम पर बोर्ड तैयार कर कृषकों की सूची लगायी जाये।

(xiv)- बैंक से ऋण लेने की दशा में कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु लाभार्थी को ऋण की धनराशि का कम से कम 20 प्रतिशत लागत स्वयं वहन करनी होगी तथा लाभार्थी अंश के ऋण पर कृषक उत्पादक संगठनों/कृषकों को कृषि अवस्थापना कोष (एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड) तथा आत्म-निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना से नियमानुसार 06 प्रतिशत के ब्याज में छूट का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(XV)- फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु लाभार्थी एफ0पी0ओ0/सहकारी समिति द्वारा यदि बैंक से ऋण प्राप्त किया जाता है तो उक्त लाभार्थी एफ0पी0ओ0/सहकारी समिति को कम से कम 10 प्रतिशत लागत स्वयं वहन करनी होगी।

(XVi)- यंत्रीकरण की योजना में सम्मिलित नये कृषि यंत्रों का जनपद स्तर पर प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यम से यथा- प्रेस-नोट, गोष्ठी, किसान पाठशाला आदि के द्वारा व्यापक रूप से कराया जाय, जिससे इच्छुक लाभार्थी कृषक अपना पंजीकरण करा सकें।

(XVii)- सहकारी समिति/एफ0पी0ओ0 की स्थिति में उसका सोसाइटी पंजीकरण एक्ट/कम्पनी एक्ट में विज्ञापन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा एफ0पी0ओ0 के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 होने पर एफ0पी0ओ0 योजना का लाभ हेतु पात्र होगा। इसी प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है, उसका भी पंजीकरण विज्ञापन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

(XViii)- कस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु कृषक उत्पादक संघटन (एफ0पी0ओ0) का upfposhakti.com पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।

(XiX)- जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति (डी0एल0ई0सी0) फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर के उपकरणों/कृषि यंत्रों के संचालन के लिए एक युक्ति-संगत किराये की सीमा निर्धारित करेगा, जो बाजार के रेट से कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु 10 प्रतिशत एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु 20 प्रतिशत कम होगा।

(XX)- कस्टम हायरिंग हेतु कृषि यंत्र कृषकों को किराये पर देते समय व्यक्तिगत कृषक लाभार्थी द्वारा किराये पर दिये जाने वाले यंत्रों से कम से कम 50 प्रतिशत प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों को तथा एफ0पी0ओ0 सहकारी समितियों द्वारा कम से कम 75 प्रतिशत प्राथमिकता लघु एवं सीमान्त कृषकों को किराये पर यंत्र उपलब्ध कराने में दी जायेगी।

(7). **<u>पोर्टल पर निम्नवत सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी</u>:**

(i)- समस्त कृषकों का ओ0टी0पी0 आधारित लॉग-इन होगा।

(ii)- योजना का संचालन करने वाले समस्त अधिकारियों का ओ0टी0पी0 आधारित लॉग-इन होगा।

(iii)- कृषक डेटा बेस में कोई भी बदलाव कृषक के द्वारा शपथ पत्र सहित दिये गये आवेदन के आधार पर अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात केवल अधिकृत ओ0टी0पी0 आधारित यूजर नेम द्वारा किया जायेगा।

(iV)- डेटा बेस में किसी भी बदलाव का लॉग रखा जायेगा, जिसमें बदलाव से पहले और बाद का विवरण, किसके द्वारा किस आई0पी0 एड्रेस द्वारा किया गया, का विवरण रक्षित होगा।

(V)- आवेदक द्वारा जिस लैपटॉप/कम्प्यूटर/मोबाइल से आवेदन किया जायेगा, उक्त का आई0पी0 एड्रेस रक्षित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(vi) कृषि यंत्रीकरण की योजनाओं में योजनाधिकारियों द्वारा जनपदवार/यंत्रवार निर्धारित लक्ष्य विभागीय पोर्टल पर फीड किये जायेंगे। पोर्टल पर फीड जनपदवार/यंत्रवार कुल लक्ष्यों के सापेक्ष जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा विकासखण्डवार यंत्रों/उपकरणों/कस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक/थ्रेसिंग फ्लोर/स्मॉल गोदाम का विकासखण्डवार वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता का आंकलन करते हुए जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त यंत्रवार/विकासखण्डवार लक्ष्य दर्शन पोर्टल पर फीड किये जायेंगे।

(vii) upyantratracking.in पोर्टल की उपयोगिता को प्रभावी बनाने के दृष्टिगत दर्शन पोर्टल से लिंक कराया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:63/2023/1063(1)/12-2-2023/100(05)/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।